तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम अब्बास खां वगैरा प्रार्थना पत्र संख्या 74/2023 (2023/244) प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-8-23	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण तहसीलदार लूणी के पत्रांक/राजस्व/2023/180 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा ग्राम भाकरी तहसील लूणी के खसरा नम्बर 50 रकबा 0.6475 हैक्टेयर कि कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाए व्यावसायिक प्रयोजन अर्थात बजरी भण्डारण कर गैर कृषि प्रयोजन कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को सिवायचक भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम भाकरी तहसील लूणी के खसरा नम्बर 50 रकबा 0.6475 हैक्टेयर में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति हेतु अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 06.09.2023 को जारी किया गया। अप्रार्थी की और से **अधिवक्ता अनोपसिंह सोलंकी ने वकालतनामा** व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल हो। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया कि उक्त भूमि पर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नही किया जा रहा है बल्कि हम सहखातेदार ने कृषि भूमि को आपस में मौखिक बंटवाड़ा करके संयुक्त रूप से कृषि कार्य कर रहे है तथा अभी आज दिनांक को कृषि भूमि पर बाजरे की फसल बोई हुई है उक्त कृषि भूमि पर कोई बजरी उपयोग नही किया जा रहा है। कोई भी किसान अपनी भूमि पर बिना संपरिवर्तन करवाये ही कृषि से सम्बन्धित कार्य कर सकता है एवं उसके उपयोग व उपभोग में ला सकता है अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से या किसी भी रूप में बजरी उपयोग/स्टॉक के रूप में उपयोग नही लाया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा मौके पर कोई विधि विरूद्व कार्यवाही नही की जा रही है पटवारी हल्का ने बिना मौका देखे ही बिना जांच पडताल करके बिना मुझे सूचित किये ही कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण को ड्रोप फरमाने का निवेदन किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के जबाव का अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट है कि अप्रार्थी उक्त भूमि का किसी भी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नही किया जा रहा है एवं किसी प्रकार से या किसी भी रूप में बजरी उपयोग/स्टॉक के रूप में उपयोग नही लाया जा रहा है। बल्कि सहखातेदार ने कृषि भूमि को आपस में मौखिक बंटवाडा करके कृषि कार्य कर रहे है। तथा अभी आज दिनांक को कृषि भूमि पर मुंग व बाजरे की फसल बोई हुई है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्व निराधार होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थी के जबाव तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	